



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16—जुलाई 22, 2011 (आषाढ़ 25, 1933)

No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16—JULY 22, 2011 (ASADHA 25, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

## भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

नौएडा, दिनांक 2011

सं. भा.अ.जा.प्रा./कार्गो/184/2009--भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 35 के द्वारा, धारा 17 को पढ़ते हुए, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (शुल्क एवं प्रभार उद्ग्रहण और संग्रहण) विनियम, 2011 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषा --इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

- (क) "अधिनियम" से भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 अभिप्रेत है;
- (ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (ग) "शुल्क" से राष्ट्रीय जलमार्गों के उपयोग हेतु और प्राधिकरण द्वारा सृजित अवसंरचना के उपयोग हेतु कार्गो स्वामियों अथवा जलयान को दी गई सेवा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रभार है;
- (घ) "अनुसूची" से प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए शुल्क को विनिर्दिष्ट करने वाले विनियम के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ङ) "जलयान" से अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) में यथा परिभाषित एक अन्तर्देशीय जलयान अभिप्रेत है;
- (च) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, का अर्थ अधिनियम में क्रमशः निर्दिष्ट अर्थ होगा।

3. शुल्क का वर्गीकरण--प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्क का वर्गीकरण निम्न श्रेणियों में होगा, अर्थात्--

- (क) जलमार्ग उपयोग प्रभार
- (ख) जलयान से संबंधित प्रभार
- (ग) कार्गो से संबंधित प्रभार
- (घ) संयुक्त प्रभार
- (ङ) विविध प्रभार, और यथा अनुसूची में विनिर्दिष्ट।

4. शुल्क का भुगतान--प्रत्येक जलयान अथवा कार्गो स्वामी विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान 'भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण निधि' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक को करेगा।

5. लेखा का रखरखाव--प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय का निदेशक प्राप्त शुल्क का लेखा जोखा रखेगा।

6. शुल्क के भुगतान से छूट --(1) देशी जलयानों को शुल्क के भुगतान से छूट होगी।

(2) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के जलयानों (कार्गो जलयानों को छोड़कर), सैन्य जलयानों, अर्ध-सैनिक जलयानों और पुलिस जलयानों को केवल विनियम 3 के खण्ड (क) में दिए गए जलमार्ग उपयोग प्रभार के भुगतान से छूट होगी।

(3) आपदाओं के लिए राहत अभियान सहित आपदा प्रबंधन से संबद्ध जलयानों के परिचालन को केवल विनियम 3 के खण्ड (क) में दिए गए जलमार्ग उपयोग प्रभार के भुगतान से छूट होगी।

**अनुसूची**  
(विनियम 3 देखें)

(क). जलमार्ग उपयोग प्रभार

क्रम सं०	सेवा का नाम	प्रभार (रुपये में)
1.	कार्गो जलयानों का संचलन	0.02 प्रति सकल पंजीकृत टनेज (जी आर टी) प्रति किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।
2.	क्रूज जलयानों का संचलन	(i) राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर की दूरी तक के उपयोग हेतु कोई प्रभार नहीं (एक तरफ की दूरी)। (ii) 0.05 प्रति सकल पंजीकृत टनेज (जी आर टी) प्रति किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग और भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के पचास किलोमीटर से अधिक की दूरी के उपयोग हेतु।
3.	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान का संचलन	0.02 प्रति सकल पंजीकृत टनेज (जी आर टी) प्रति किलोमीटर राष्ट्रीय जलमार्ग और भारतीय सीमा के भीतर भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के उपयोग के लिए।

(ख) जलयान से संबद्ध प्रभार

क्रम सं०	सेवा का नाम	प्रभार (रुपये में)
1.	बर्थिंग प्रभार	(i) 1000/- कोलकाता/हल्दिया के लिए चौबीस घण्टे अथवा उसके किसी भाग हेतु - प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (ii) 500/- पटना/गुवाहाटी और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के टर्मिनलों के लिए चौबीस घंटे अथवा उसके किसी भाग हेतु - प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक। (iii) 100/- अस्थायी पांटूनों के लिए चौबीस घंटे अथवा उसके किसी भाग हेतु - प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक।
2.	टोएज	विशेष अनुरोध पर वास्तविक लागत के अनुरूप।
3.	पाइलटेज	750/- प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए प्रति पायलट।

## (ग) कार्गो से संबद्ध प्रभार

क्रम सं०	सेवा का नाम	प्रभार (रुपये में)
1.	टर्मिनल प्रभार	
(i)	शुष्क कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(ii)	तरल कार्गो	1/- प्रति टन अथवा उसके किसी भाग के लिए
(iii)	कंटेनर कार्गो	50/- प्रति बीस फुट समतुल्य यूनिट (टीईयू) के लिए एवं 75/- प्रति चालीस फुट समतुल्य यूनिट (एफईयू) के लिए
2.	पारगमन शेड प्रभार	(क) प्रथम सात दिनों के लिए शुल्क मुक्त (ख) 5/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अगले चौदह दिनों तक अथवा उसके किसी भाग के लिए (ग) 10/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और चौदह दिनों तक (घ) 40/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात् आच्छादित क्षेत्र/पारगमन शेड/ प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निस्तारण कर देगा। (प्रति दिन— प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)
3.	खुली जगह पर भंडारण प्रभार	
(i)	हार्ड स्टैण्ड	(क) प्रथम सात दिनों के लिए शुल्क मुक्त (ख) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले चौदह दिनों तक (ग) 4/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और चौदह दिनों तक (घ) 16/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात् और हार्ड स्टैण्ड/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निस्तारण कर देगा। (प्रति दिन – प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)

(ii) खुले क्षेत्र में	<p>(क) प्रथम सात दिनों के लिए शुल्क मुक्त</p> <p>(ख) 1/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए अगले चौदह दिनों तक</p> <p>(ग) 2/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए और चौदह दिनों तक</p> <p>(घ) 3/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) प्रति दिन अथवा उसके किसी भाग के लिए उपर्युक्त पैंतीस दिनों के पश्चात् और खुला क्षेत्र/प्रांगण को खाली कराने एवं बकाया राशि वसूलने के लिए स्वामी की लागत और जोखिम पर प्राधिकरण बिना सूचना दिए कार्गो हटाएगा और निस्तारण कर देगा।</p> <p>(प्रति दिन – प्रातः 6 बजे से अगले दिन प्रातः 6 बजे तक)</p>
-----------------------	---

## (घ) संयुक्त प्रभार:

क्रम सं०	सेवा का नाम	प्रभार (रुपये में)
1.	वृहत् आकार के कार्गो का संचलन (ओडीसी)	1.50 प्रति मीट्रिक टन प्रति किलोमीटर (टोएज को छोड़कर जलमार्ग के उपयोग एवं जलयान से संबंधित प्रभार सहित)

## (ड) विविध प्रभार:

क्रम सं०	सेवा का नाम	प्रभार (रुपये में)
1.	क्रेन (पांटून क्रेन सहित) भाड़ा प्रभार	<p>800/- आठ घंटे की प्रति पाली हेतु पाँच मीट्रिक टन तक की क्षमता के क्रेनों के लिए।</p> <p>2000/- आठ घंटे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन तक की क्षमता की क्रेनों के लिए।</p> <p>2500/- आठ घंटे की प्रति पाली हेतु बीस मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली क्रेनों के लिए।</p>
2.	कंटेनर क्रेन	1100/- प्रति घंटे अथवा उसके किसी भाग के लिए।
3.	फोर्क लिफ्ट	600/- आठ घंटे की प्रति पाली हेतु तीन मीट्रिक टन तक की क्षमता की फोर्क लिफ्ट के लिए।
4.	जलयान को विद्युत आपूर्ति	विद्युत बोर्ड/प्राधिकरण की वास्तविक दरों के अनुरूप अधिभार सहित।

5.	ईंधन/पेटोलियम तेल ल्युब्रिकेन्टस का बंकरिंग।	बाजार दर एवं अधिभार, परिवहन इत्यादि के अनुरूप।
6.	जल आपूर्ति	300/- प्रति किलोलीटर
7.	मल निस्तारण	100/- प्रति किलोलीटर
8.	तौल माप	5/- प्रति मीट्रिक टन (एम टी) न्यूनतम 50/- तौल प्रमाणपत्र जारी करना : पचीस रुपये प्रति वाहन



(एस० के० शाही)

सचिव